

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:-श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :-06/2024 (जी.सी.एम.एस. न0 2024/20)

उनवानी प्रकरण :-

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ----- प्रार्थी

बनाम

रवि पुत्र श्री विशनलाल जाति तमौली उम्र 30 वर्ष निवासी पुरानी सोनपुरा मजरा सोनखेडा बयाना हाल खीरपोठा कस्बा बसेडी जिला धौलपुर----- अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

- 1- प्रार्थी की ओर से :-सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
- 2- अप्रार्थी की ओर से :-श्री हरीशंकर मुदगल अभिभाषक।



आदेश

दिनांक 08.09.2025

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना बसेडी जिला धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी रविपुत्र श्री विशनलाल जाति तमौली उम्र 30 वर्ष निवासी सोनपुरा मजरा सोनखेडा बयाना हाल निवासी खीरपोठा कस्बा बसेडी थाना बसेडी जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदि है जो रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी एवं धूम्रपान सामग्री बेचते हुये कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी को बार-बार जुआ खलते हुये गिरफतार करने, उसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहाँ वह स्वयं को इलाका में छूट का किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है ऐसे अपराधी का खुले रूप में घूमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। अप्रार्थी के विरुद्ध थाना बसेडी जिला धौलपुर पर प्रकरण संख्या 277/2022 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.06.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 119 दिनांक 25.06.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय वसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 07.09.2022 को दोषी करार कर 50रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
धौलपुर (राज0)

प्रकरण संख्या 426/2022 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 01.09.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 199 दिनांक 12.04.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 27.09.2022 को दोषी करार कर 50रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 614/2022 अन्तर्गत धारा 9/11 धूम्रपान अधिनियम दिनांक 16.12.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 304 दिनांक 19.12.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 20.12.2022 को दोषी करार कर 50रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को मध्यनजर रखते हुये उक्त अप्रार्थी ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये नवयुवा पीढी को जुआ सट्टे एवं धूम्रपान की अपराधिक लत लगा दी है तथा अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। गैरसायल अभ्यासिक रूप से बिना कानून के भय के निर्वाद रूप से निरन्तर जुआ/सट्टे एवं धूम्रपान बेचने का अपराध कर रहा है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री हरीशंकर मुदगल अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी द्वारा बार-बार जबाव हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में अप्रार्थी जबाव बंद किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान सूची, प्रकरण संख्या 277/2022 प्रति एफ.आई.आर. प्रति चार्जशीट, प्रति फौसला, प्रकरण संख्या 426/2022 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फौसला, प्रकरण संख्या 106/2023 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फौसला, प्रकरण संख्या 614/2021 प्रति एफ.आई.आर., प्रति चार्जशीट, प्रति फौसला,, प्रस्तुत की है। अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणा की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध 06 माह की समयावधि के दौरान तीन बार दोषसिद्ध कर अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया है। किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सट्टा/जुआ खेलने एवं धूम्रपान सामग्री बेचने का आदि है जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करते हुए एवं धूम्रपान सामग्री बेचते हुए कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। उक्त प्रकरणों व उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(V)(VIII)की तारीफ में आता है

  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 धौलपुर (राज0)

जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी एक सभ्य परिवार का व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करता है। अप्रार्थी एक सीधा-सादा व्यक्ति है, और उसने कभी भी शांति भंग नहीं की और ना ही कोई वारदात घटित की है। अप्रार्थी के द्वारा कभी भी जूए एवं सट्टे एवं धूम्रपान सामग्री बेचने का कोई अवैध कारोबार नहीं किया गया है। कथन किया कि अप्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिससे अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(ख) ‘‘गुण्डा’’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेषन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को

जिला मजिस्ट्रेट  
 धौलपुर (राज0)

धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- प्रकरण संख्या 277/2022 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 11.06.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 119 दिनांक 25.06.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 07.09.2022 को दोषी करार कर 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 426/2022 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 01.09.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 199 दिनांक 12.04.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 27.09.2022 को दोषी करार कर 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 614/2022 अन्तर्गत धारा 9/11 धूम्रपान अधिनियम दिनांक 16.12.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 304 दिनांक 19.12.2022 को पेश न्यायालय की गई एवं ग्राम न्यायालय बसेडी ने अप्रार्थी को दिनांक 20.12.2022 को दोषी करार कर 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता है वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी रवि पुत्र विशनलाल जाति तमौली उम्र 30 वर्ष निवासी पुरानी सोनपुरा मजरा सोनखेडा बयाना हाल निवासी खीरपोठा कस्बा बसेडी जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय-अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी

  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 धौलपुर (राजगुण्डा)



(5)

भाग(क)कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
तमक सरकार बलाम रवि  
इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, स.न.0/मुचदा नियंत्रण अधि01/2025  
प्रकरण संख्या 06 / 2024

प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेंगे। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी रवि पुत्र श्री विशनलालजाति तमौली उम्र 30 वर्ष निवासी पुरानी सोनपूरा मजरा सोनखेडा बयाना हाल निवासी खीरपोठा कस्बा बसेडी जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगे। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी रवि जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।  
आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

( श्रीनिधि बी टी )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर

